



3 September, 2024

## भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार

**संदर्भ:** हाल ही में आप नेता को इस आधार पर जमानत दी गई कि स्वतंत्रता का अधिकार अति महत्वपूर्ण है।

### ➤ स्वतंत्रता के अधिकार का अवलोकन

- स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग III में निहित एक मौलिक अधिकार है।
- यह मुख्यतः अनुच्छेद 21, 22 और 19 के अंतर्गत प्रदान किया गया।
- यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

### ➤ अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

- "किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा।"
- **ऐतिहासिक निर्णय:**
  - **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):** अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार कर इसमें मानव सम्मान के साथ जीने का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार शामिल किया गया।
  - **के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017):** अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।

### ➤ अनुच्छेद 22: गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण

- **खंड (1) और (2):**
  - यह मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
  - गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
- **खंड (3):**
  - यह निवारक निरोध कानूनों के तहत हिरासत में लिए गए लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है।
  - हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को हिरासत के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।
- **ऐतिहासिक निर्णय:**
  - **ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950):** निवारक निरोध कानूनों के संदर्भ में अनुच्छेद 22 की व्याख्या की गई।
  - **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976):** आपातकालीन अवधि के दौरान अनुच्छेद 22 के दायरे पर विचार किया गया।

### ➤ अनुच्छेद 19: कुछ स्वतंत्रताओं का संरक्षण

- **खंड (1) निम्नलिखित स्वतंत्रता की गारंटी देता है:**
  - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(ए))
  - शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(बी))
  - संघ या एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(सी))
  - भारत के राज्यक्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(डी))
  - भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(ई))

- कोई भी पेशा अपनाने, या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(जी))

### • खंड (2) से (6):

- अनुच्छेद 19(1) के तहत स्वतंत्रताएँ निम्नलिखित आधारों पर उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं:

- भारत की संप्रभुता और अखंडता
- राज्य की सुरक्षा
- सार्वजनिक व्यवस्था
- शालीनता या नैतिकता
- न्यायालय की अवमानना
- मानहानि
- किसी अपराध के लिए उत्तरदायिता

### • ऐतिहासिक निर्णय:

- **रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950):** भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा स्थापित किया गया।
- **खड्क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1963):** आवागमन और निवास की स्वतंत्रता के संदर्भ में गोपनीयता के अधिकार पर चर्चा की गई।

## भारत-सिंगापुर संबंध

**संदर्भ:** हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले, भारत-सिंगापुर संबंध नई साझेदारियों और क्षेत्रीय सहयोग के साथ विस्तारित होने वाले हैं।

### ➤ अवलोकन

- प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा से छह वर्ष के अंतराल में की जा रही है।
- भारत-सिंगापुर राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य डिजिटलीकरण, स्थिरता, उन्नत विनिर्माण, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी में सहयोग को बढ़ावा देना है।

### ➤ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **प्रारंभिक संबंध:** यह संबंध एक सहस्राब्दी से भी अधिक पुराना है, जिसमें महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं।
- **औपनिवेशिक युग:** सर स्टैमफोर्ड रेफल्स, जिन्होंने 1819 में सिंगापुर में एक व्यापारिक स्टेशन की स्थापना की थी। **मलक्का जलडमरूमध्य** जो बाद में एक शाही उपनिवेश बन गया और 1867 तक कोलकाता से शासन करता रहा।
- **स्वतंत्रता के बाद मान्यता:** भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।

### ➤ व्यापार और आर्थिक सहयोग

- **व्यापार:** द्विपक्षीय व्यापार में, सिंगापुर 2023-24 में 35.61 बिलियन डॉलर के कुल व्यापार के साथ भारत का छठा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार साझेदार था।



## Face to Face Centres





3 September, 2024

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई):** सिंगापुर भारत में एफडीआई का प्रमुख स्रोत है, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में 11.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई योगदान दिया।
- **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए):** 2005 में हस्ताक्षरित सीईसीए दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है।
- **हालिया घटनाक्रम:** तीव्र गति से धन प्रेषण के लिए फरवरी 2023 में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) का सिंगापुर के PayNow के साथ एकीकरण हुआ है।

#### ➤ रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग

- **सामरिक साझेदारी:** 2015 में, राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर इस संबंध को सामरिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया।
- **समझौते:** प्रमुख समझौतों में रक्षा सहयोग समझौता (2003) और नौसेना सहयोग समझौता (2017) शामिल हैं।
- **सैन्य अभ्यास:**
  - नौसेना: सिम्बेक्स
  - वायु सेना: SINDEX
  - सेना: साहसिक कुरुक्षेत्र

#### ➤ शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग

- **प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन:** फरवरी 2022 में 28वें डीएसटी-सीआईआई भारत-सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में एआई, आईओटी, फिनटेक, स्वास्थ्य सेवा, बायोटेक, स्मार्ट विनिर्माण, हरित गतिशीलता और सतत शहरी विकास में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** इसरो ने 2011 में सिंगापुर का पहला स्वदेश निर्मित माइक्रो-उपग्रह प्रक्षेपित किया।
- **डिजिटल अवसंरचना:** डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में संभावित सहयोग, जैसे कि सिंगापुर के 'प्रॉक्सटेरा' को भारत के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के साथ एकीकृत करना।

#### ➤ सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संबंध

- **जनसांख्यिकी:** भारतीय सिंगापुर की जनसंख्या का लगभग 9.1% हैं, जो इसके आर्थिक और सांस्कृतिक परिसर में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- **प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी):** आसियान-भारत पीबीडी जनवरी 2018 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था, जिसमें "प्राचीन मार्ग, नई यात्रा" विषय के साथ आसियान-भारत साझेदारी के 25 वर्षों का जश्न मनाया गया।

#### ➤ बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग

- **बुनियादी ढांचा परियोजनाएं:** सिंगापुर की विशेषज्ञता सतत विकास और स्मार्ट शहरों में भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है। सिंगापुर की कंपनियां भारत में औद्योगिक पार्क, हवाई अड्डे और शहरी बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल रही हैं।

#### ➤ भविष्य की संभावनाओं

- **अर्धचालक:** अर्धचालक प्रौद्योगिकी में सहयोग में प्रत्याशित वृद्धि में मदद करना।
- **सीईओ के साथ बातचीत:** सिंगापुर यात्रा में आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने तथा नए अवसरों की खोज के लिए सीईओ और व्यापार जगत के नेताओं के साथ बैठकें शामिल होंगी।

- **समग्र विकास:** हरित हाइड्रोजन और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करना।

## बी-हैवी गुड़ (B-heavy molasses)

**संदर्भ:** बी-भारी गुड़ से इथेनॉल निर्माण पर प्रतिबंध हटाना और चावल के उपयोग की अनुमति देना, बंपर मानसून फसल उत्पादन पर सरकार के आत्मविश्वास को दर्शाता है।

#### ➤ अवलोकन:

- हाल ही में भारत में दीर्घावधि में औसत से 7.5% अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण गन्ने के रस, सिरप या बी-भारी गुड़ से इथेनॉल बनाने पर प्रतिबंध हटा लिया गया, क्योंकि चीनी और चावल की घरेलू उपलब्धता बढ़ गई।

#### ➤ बी-हैवी गुड़ क्या है?

- बी-भारी गुड़ गन्ने या चुकंदर से चीनी उत्पादन का एक उप-उत्पाद है।
- इसमें सी-हैवी गुड़ की तुलना में अधिक चीनी होती है, जिससे प्रति टन लगभग 290-320 लीटर इथेनॉल प्राप्त होता है। (सी-हैवी गुड़ (सीएचएम) चीनी उत्पादन का एक उप-उत्पाद है, जो गन्ने या चुकंदर से रस के अंतिम निष्कर्षण से प्राप्त होता है।
- यह दूसरे या तीसरे निष्कर्षण से प्राप्त होता है।

#### ➤ विशेषताएँ:

- इसमें 45-55% सुक्रोज होता है।
- हल्के गुड़ ग्रेड की तुलना में अधिक गाढ़ा होता है।
- यह कम परिष्कृत तथा अधिक चीनी सामग्री वाला होता है।

#### ➤ उपयोग:

- **इथेनॉल उत्पादन:** इथेनॉल और अन्य मादक पेय पदार्थों के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है।
- **पशु आहार:** यह पशुओं के लिए एक पूरक आहार है, जो ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है।
- **रासायनिक उद्योग:** यह रसायनों और उर्वरकों के लिए कच्चा माल है।
- **जैव ईंधन:** इसमें उच्च शर्करा सामग्री के कारण जैव ईंधन उत्पादन में उपयोग किया जाता है।

#### ➤ आर्थिक महत्व:

- **राजस्व धारा:** अतिरिक्त राजस्व धाराएं प्रदान करके चीनी उद्योग के मूल्य में वृद्धि होती है।
- **लाभप्रदता:** यह चीनी मिलों की लाभप्रदता में योगदान देता है।

#### बीएचएम उपयोग में तकनीकी प्रगति

#### ➤ उन्नत किण्वन प्रक्रियाएँ:

- **खमीर प्रभेद अनुकूलन (Yeast Strain Optimization):** इसमें विशेष खमीर का उत्पादन किया जाता है, जो किण्वन प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करते हैं, तथा BHM से इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि करते हैं।
- **किण्वन प्रौद्योगिकी:** उत्पादकता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए उन्नत किण्वन प्रौद्योगिकियों, जैसे सतत किण्वन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है।

#### ➤ पूर्व-उपचार प्रौद्योगिकियाँ:

- **एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस:** बीएचएम में जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस का अनुप्रयोग किया जाता है, जिससे बेहतर शर्करा निष्कर्षण और किण्वन की सुविधा मिलती है।
- **रासायनिक पूर्व उपचार:** किण्वनीय शर्कराओं की उत्पादकता को बढ़ाने और आसान प्रसंस्करण के लिए चिपचिपाहट को कम करने के लिए रासायनिक उपचार (जैसे, एसिड या क्षार) का उपयोग किया जाता है।

## Face to Face Centres





### ➤ इथेनॉल पुनर्प्राप्ति और शुद्धिकरण:

- **आसवन नवाचार:** इथेनॉल प्राप्ति दक्षता में सुधार और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए **वैक्यूम आसवन** जैसी उन्नत आसवन तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- **झिल्ली प्रौद्योगिकियाँ:** अधिक प्रभावी इथेनॉल शुद्धिकरण और सांद्रण के लिए झिल्ली पृथक्करण प्रौद्योगिकियों (जैसे, रिवर्स ऑस्मोसिस) का उपयोग किया जाता है।

### ➤ एकीकृत जैवईंधन उत्पादन प्रणाली:

- **सह-उत्पादन सुविधाएं:** संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने और समय ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए इथेनॉल उत्पादन को अन्य जैव ईंधन प्रक्रियाओं, जैसे बायोगैस उत्पादन, के साथ एकीकृत करना।

- **बायोरिएक्टर डिजाइन:** किण्वन स्थितियों में सुधार लाने तथा बीएचएम से उत्पादित इथेनॉल की उपज और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुकूलित बायोरिएक्टर का विकास किया गया है।

### ➤ अपशिष्ट प्रबंधन और उपयोग:

- **उप-उत्पाद पुनर्प्राप्ति:** यह बीएचएम प्रसंस्करण से उप-उत्पादों की पुनर्प्राप्ति और मूल्य निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकी है, जैसे कि मूल्यवान यौगिकों का निष्कर्षण या पशु आहार में रूपांतरण।
- **अपशिष्ट न्यूनीकरण:** अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करने और बीएचएम प्रसंस्करण कार्यों की स्थिरता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाता है।

## NEWS IN BETWEEN THE LINES

### केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड



हाल ही में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को नोटिस जारी किया।

#### केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बारे में:

- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी), जिसे सेंसर बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक वैधानिक निकाय है।
- यह सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952, सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 1983 और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है।
- यह एक अध्यक्ष और गैर-आधिकारिक सदस्यों से बना है, जिन्हें सभी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- फिल्म प्रमाणन में यू (यूनिवर्सल), यूए (12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वयस्क पर्यवेक्षण के साथ यूनिवर्सल), ए (केवल वयस्क) और एस (डॉक्टर और किसान जैसी विशेष श्रेणियाँ) शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

### डिजिटल कृषि मिशन



हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र के लिए ₹14,235.30 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 'डिजिटल कृषि मिशन' है।

#### डिजिटल कृषि मिशन के बारे में:

- डिजिटल कृषि मिशन (DAM) कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल बुनियादी ढाँचा बनाने की एक सरकारी पहल है।
- इसका उद्देश्य AI, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग, रोबोट और ड्रोन सहित अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और गति देना है।
- मिशन का उद्देश्य कृषि के लिए एक व्यापक डिजिटल बुनियादी ढाँचा विकसित करना है, जिसमें सटीक भूमि और फसल रिकॉर्ड, राष्ट्रीय कृषि और फसल रजिस्ट्री, भू-संदर्भित गाँव के नक्शे और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच शामिल है।
- यह मिशन मूल रूप से 2021-22 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई।
- मिशन को अगले दो वर्षों (2025-26 तक) में शुरू किए जाने की उम्मीद है, जिसमें 28,00 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन है।

### आंतरिक शिकायत समिति

हाल ही में, रोकथाम, निषेध और निवारण (PoSH) अधिनियम के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) द्वारा देरी से जवाब दिए जाने के कारण दिल्ली में एक पीएचडी छात्रा को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी।


#### आंतरिक शिकायत समिति के बारे में:

- आंतरिक शिकायत समिति (ICC) एक समिति है जो विश्वविद्यालयों सहित कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को देखती है।
- यह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 द्वारा अनिवार्य है, जिसे POSH अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है।
- आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्षता एक महिला द्वारा की जानी चाहिए और इसके कम से कम आधे सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए।
- समिति में एक अन्य कर्मचारी और एक तीसरा पक्ष भी शामिल है, जैसे कि पाँच साल के अनुभव वाला एक NGO कार्यकर्ता।
- इस समिति के सदस्य अपने नामांकन की तारीख से अधिकतम तीन साल तक सेवा करते हैं।
- इसमें सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ हैं और इसकी जाँच प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करती है।

## Face to Face Centres





|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>POSH अधिनियम:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, या POSH अधिनियम, भारत में सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए 2013 में पारित किया गया था।</li> <li>यह अधिनियम सभी महिलाओं को कवर करता है, यौन उत्पीड़न को व्यापक रूप से परिभाषित करता है और शिकायतों, पूछताछ और कार्रवाई के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करता है।</li> <li>POSH अधिनियम भारत में उन सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है जहाँ कम से कम 10 लोग काम करते हैं।</li> <li>इस अधिनियम ने विशाखा दिशा-निर्देशों की जगह ली, जो नियोक्ताओं के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायतों को रोकने और उनका निवारण करने के लिए एक रूपरेखा थी।</li> </ul>   |
| <p><b>केंद्रीय जल आयोग</b></p>  | <p>हाल ही में, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने इडुक्की में 129 साल पुराने मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा समीक्षा के लिए केरल की मांग को मंजूरी दे दी।</p> <p><b>केंद्रीय जल आयोग के बारे में:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) एक सरकारी निकाय है जो भारत के जल संसाधनों के सतत विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।</li> <li>इसकी स्थापना 1945 में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की सलाह पर सरकार द्वारा की गई थी।</li> <li>इसे नदी प्रबंधन विंग (आरएम), डिजाइन और अनुसंधान विंग (डीएंडआर), और जल योजना और परियोजना विंग (डब्ल्यूपीएंडपी) सहित तीन विंग में विभाजित किया गया है।</li> <li>इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है जो भारत सरकार का पदेन सचिव भी होता है।</li> <li>इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।</li> </ul> <p><b>मुल्लापेरियार बांध:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>मुल्लापेरियार बांध, एक चिनाई गुरुत्वाकर्षण बांध केरल में स्थित है।</li> <li>इसका निर्माण पेरियार नदी पर किया गया था।</li> <li>बांध का स्वामित्व और संचालन तमिलनाडु राज्य द्वारा त्रावणकोर की तत्कालीन रियासत के साथ एक पट्टा समझौते के तहत किया जाता है।</li> <li>1886 में हस्ताक्षरित पट्टा समझौता, बांध की सुरक्षा और जल बंटवारे पर चिंताओं के कारण केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद का स्रोत है।</li> <li>इसका निर्माण चूना पत्थर और "सुरखी" (जली हुई ईंट का पाउडर और चीनी और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण) से किया गया था।</li> </ul> |

## POINTS TO PONDER

- कौन सा राज्य अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 का प्रस्ताव कर रहा है? – **पश्चिम बंगाल**
- 2024 पैरालिंपिक में पुरुष एकल SL3 श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक जीता? – **नितेश कुमार**
- काला बख्तिरार किस शहर में स्थित है? – **काला बख्तिरार अफगानिस्तान के काबुल शहर में स्थित है**
- डोनबास क्षेत्र को लेकर संघर्ष में कौन से देश शामिल हैं? – **पूर्वी यूक्रेन में स्थित डोनबास क्षेत्र मुख्य रूप से यूक्रेन और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच विवादित है।**
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? – **माधवी पुरी बुच**

## Face to Face Centres

